

२७
जायें से रीडर

11/5/17 पत्रावली केम्य बोर्ड / न्याय कापडे द्वारमें प्रस्तुत हुई। वादी अनुपास्थित। प्रतिवादी सं

(3) के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया का अक्लौठन किया के अनुसार वाद पत्र में वादी द्वारा तथ्यों को छिपाया जाबुद गलत ~~संज्ञा~~ संज्ञा प्रस्तुत किया। एवं सजरे में तीनों पुत्रियों का अंकुन लही किया गया। अतः वादी का वाद पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली गंवर से कम होकर ~~केवल~~ वाचित दफ्तर हो।